न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 57/2019

सायरा पत्नी मुबारिक जाति मेव निवासी ग्राम मानौता तहसील पुन्हाना जिला मेवात हरियाणा वादनी

बनाम

उस्मान पुत्र रूस्तम जाति मेव निवासी ग्राम दाहना तहसील पहाडी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 183,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादनी

दिनांक :– 05.11.2019

निर्णय

वादनी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 183,188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 161/1/3.24, बांके ग्राम दाहना तहसील पहाडी में स्थित है । विवादित आराजी को वादनी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा करीब 10 साल पूर्व खरीद किया था। तभी से वादनी अपनी उक्त आराजी पर बतोर खातेदार काश्तकार काबिज है। अपनी उक्त आराजी मुत0 को वादनी ग्राम मानौता में निवासी करने की वजह से काश्त करने में परेशानी रहती है इसलिए अपनी आराजी को आधी बटाई पर प्रतिवादी को देकर अपने हिस्से की फसल को ले लेती है। दिनांक 25.01.2019 को वादनी अपनी आराजी बाबत किसान कार्ड की वजह से नकल खसरा व जमाबन्दी ले गई लेकिन घरेलू कार्यो में व्यस्त रहने की वजह से के0सी0सी0 की बजाय उक्त आराजी की तरमीन कराने हेतु दिनांक 18.03.2019 को नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की। वादनी द्वारा दिनांक 08.05.2019 को अपनी फसल के एवज में खर्चे का हिसाब प्रतिवादी से पूछा तो वह नाराज हो गया और कहने लगा कि आधी बटाई की फसल देने से साफ इन्कार कर दिया जिसकी धमकी प्रतिवादी ने दी थी। यदि अब तुमने हमने फसल देने की बात कही तो तुम्हे जान खत्म कर दूंगा तथा किसी भी कीमत में कब्जा वापिस नहीं करूगा वादनी उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार है। आराजी मुत0 वादनी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रतिवादी द्वारा किया गया कब्जा नाजायज को वादनी प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वापसी पाने की अधिकारणी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर) राज0

Scanned by CamScanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया उसके विरूद्ध दिनांक 07.06.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादनी ने पी0डब्लू0 1 सायरा ,पी0डब्लू0 2 मुबारिक अली, पी0डब्लू 3 अब्बल, पी0डब्लू 4 मजीद के शपथ पत्र पेश कर वादनी ने अपनी साक्ष्य समाप्त की।

वकील वादनी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 161/1/3.24 है0 बांके ग्राम दाहना तहसील पहाडी में स्थित है। उक्त आराज़ी वादनी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है वादनी द्वारा उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा करीब 10 साल पूर्व खरीद किया था वादनी ग्राम मानौता तहसील पुन्हाना में निवास करने के कारण आराजी को काश्त करने में परेशानी रहती है। इस कारण वादनी ने उक्त आराजी को प्रतिवादी को आधी बटाई पर देकर अपने हिस्से की फसल को ले लेती है। दिनांक 08.05.2019 को वादनी अपनी फसल की एवज में खर्चे का हिसाब किताब प्रतिवादी से पूछा तो प्रतिवादी नाराज हो गया और कहा कि मैं उक्त आराजी बाबत आधी बटाई की फसल भी आपको नहीं दूंगा और आराजी का कब्जा भी वापिस नहीं करूंगा अतः दावा वादनी डिक्री फरमाया जाकर वादनी की खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादनी को आराजी का वापिस कब्जा दिलाया जावे एवं प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल किया जावे।

हमने वकील वादनी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2060 लगायत 2063 का भी अवलोकन किया। विवादित आराजी वादनी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। ऐसी स्थिति में दावा वादनी काबिले डिक्री के है।

अतः दावा वादनी डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी को आराजी मुत0 खसरा नं0 161/1/3.24 है0 बांके ग्राम दाहना तहसील पहाडी से बेदखल किया जाता है। प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी मुत0 में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करे एवं कब्जा नाजायज न करे। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर राज.)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

इजलास जगदीश आर्य आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 57/2019

सायरा पत्नी मुबारिक जाति मेव निवासी ग्राम मानौता तहसील पुन्हाना जिला मेवात हरियाणा वादनी

बनाम

उस्मान पुत्र रूस्तम जाति मेव निवासी ग्राम दाहना तहसील पहाडी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 183,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू मुझ जगदीश आर्य आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब वकील प्रति0 X मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा वादनी डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी को आराजी** मुत0 **खसरा नं0 161/1/3.24 है0 बांके ग्राम दाहना तहसील पहाडी से बेदखल किया जाता है।** प्रतिवादी को जरिये **डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी मुत0 में किसी** प्रकार की **मजाहमत व मदाखलत न करे एवं कब्जा नाजायज न करे।**

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05. 11 सन् 2019 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर) राज0

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प. अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned by CamScanner